# प्रथम सूचना रिपोर्ट
## {अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थाना– सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या ......289/23 दिनांक ......6/11/23.....
2. (1) अधिनियम– भ्रष्टाचार निवारण 1988 धारा– 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2)
   (2) अधिनियम– भारतीय दण्ड संहिता धारा– 120बी
   (3) अधिनियम ..............................धाराये ..............................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये– ..............................
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या......97...... समय ......1-50 P.M......
   (ब) अपराध के घटने का दिनः– वर्ष 2013 से 2018 तक समय ..............................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक– अक्टूबर, 2018 समय ..............................
4. सूचना की किस्म– लिखित
5. घटनास्थलः–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी– चौकी से बदिश दक्षिण–पश्चिम, बफासला करीबन 75 किलोमीटर दूर
   (ब) पता– नगर पालिका भीनमाल, जिला जालौर
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो– नहीं
6. परिवादी / सूचनाकर्ता–
   सरकार जरिये डॉ. महावीर सिंह राणावत, अति. पुलिस अधीक्षक, भ.नि. ब्यूरो, जालोर ।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहितः–
   01. स्व. भीखाराम जोशी (मृतक / फौत), पुत्र श्री कृष्णलाल जी जोशी, निवासी पुरोहितों का वास सांचौर, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका भीनमाल, जिला जालौर,
   02. श्री हीरालाल बोहरा पुत्र श्री पारेश्वर जी बोहरा, निवासी खारी रोड़, भीनमाल,जिला जालौर तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका भीनमाल, जिला जालौर,
   03. स्व. भोमाराम (मृतक / फौत) पुत्र श्री हेमाराम जी, जाति जीनगर, निवासी जीनगर मौहल्ला, भीनमाल, जिला जालौर, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका भीनमाल, जिला जालौर,
   04. लाभार्थी सोमाराम,
   05. लाभार्थी सजनाराम
   06. लाभर्थी बलवंता राम,
   07. लाभार्थी सकुड़ाराम,
   08. लाभार्थी नगजीराम निवासी रामसींह रोड़ भीनमाल,
   09. लाभार्थी प्रेमराज बोहरा, निवासी भीनमाल
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण– कोई नहीं ।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां– ..............................
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य– 4,82,943 रुपये की राजकोष को हानि
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ..............................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ..............................

महोदय,

वाक्यात हालात इस प्रकार निवेदन है कि परिवादी श्री अशोक कुमार पुत्र उकचन्द मेहता निवासी भीनमाल द्वारा अधिकारी / कर्मचारी नगरपालिका भीनमाल जिला जालोर के विरुद्ध एक लिखित शिकायत मय दस्तावेजात इस आशय की ब्यूरो मुख्यालय राज. जयपुर पर प्रेषित की गई कि " भीनमाल निवासी राहुल पुत्र प्रेमराज बोहरा ने पत्रावली संख्या 1489 / 2013, चेतन पुत्र प्रेमराज बोहरा व लीलादेवी पत्नि सुरेश कुमार कोठारी ने पत्रावली संख्या 61 / 97–98, छगनाराम पुत्र भूराराम माली ने पत्रावली संख्या 1537 / 2013 उक्त भूमि नियमन कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नियमों के विपरीत किया गया है जिसमे चेतन बोहरा का नाम बाद मे जोडकर नगरपालिका व उप पंजियक विभाग को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। उक्त पत्रावलियों में रास्ता के जमीन का भी नियमन किया गया है। जो मूल पत्रावली के क्षेत्रफल मे काँट–छाँट से साफ जाहिर होता है। उक्त भूमि मानसिंह राजपूत से खरीदी थी। जिसकी मूल रजिस्ट्री मे गली दर्शाई हुई है। यह है कि भीनमाल–रामसीन मार्ग पर 1. विमला पत्नि सुरेश बोहरा, 2. सुशीला पत्नि प्रेमराज बोहरा के नाम से खसरा संख्या 5168 / 7428 के खसरे कि करीब 108000 वर्गफुट जमीन का नियमन करवाकर स्वयं के नाम पट्टे जारी करवाए गये है। जिसमे नगरपालिका के नियमों के तहत लीज राशि 10 वर्ष की बजाए एक वर्ष की जमा करवाकर

नगरपालिका को लाखो रूपयों का नुकसान पहुँचाया है। भीनमाल–रामसीन मार्ग पर बीपीएल कार्ड धारक सुजानाराम, छगनाराम, राणाराम तिडाराम, कालूराम, सकुडाराम व बलवन्ताराम जाति भील निवासी भीनमाल व आलडी के नाम खसरा न. 5150, 5152, 5151, 5144 व 5146 करीबन 50 बीघा भूमि का नियमन वर्ष 2009–10 में करवाया गया है। जिसमे लीज राशि 10 वर्ष की बजाय एक वर्ष जमा करवाकर नगरपालिका को राजस्व का भारी नुकसान पहुचाया है। अतः उक्त नामों से समस्त पत्रावलियो के नियमन की प्रक्रिया, पत्रावलियों मे हस्ताक्षर लिखावट व स्टाम्प पेपरों की विस्तृत जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करावे।" उक्त शिकायत पर भ्र.नि. ब्यूरो मुख्यालय राज. जयपुर द्वारा परीक्षणोपरान्त परिवाद सं. 515/2018 दिनांक 18.10.2018 दर्ज की गई। उक्त परिवाद जांच हेतु इस कार्यालय को प्राप्त होने पर श्री अन्नराज, उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो जालौर द्वारा जांच की गई।

जांच के दौरान परिवाद में अंकित आरोपों से संबधित राहुल पुत्र प्रेमराज बोहरा की पत्रावली संख्या 1489/2013 चेतन पुत्र प्रेमराज बोहरा व लीलादेवी पत्नि सुरेश कुमार कोठारी की पत्रावली संख्या 61/97–98 छगनाराम पुत्र भूराराम माली की पत्रावली संख्या 1537/2013, विमला पत्नि सुरेश बोहरा एवं सुशीला पनि प्रेमराज बोहरा के नाम से खसरा संख्या 5168/7428 की पत्रावली संख्या 4/08–09 तथा सजानाराम वगैरा की पत्रावली संख्या 1993/13 एवं राजस्थान भू राजस्व 1956 की धारा 90 क की उप धारा (4) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 31.07.2012 दिनांक 21.09.2012 प्राप्त की जाकर परिवादी श्री अशोक कुमार गवाह श्री हैदरअली कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका जालोर के बयान व श्री भोमाराम कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका भीनमाल के स्पष्टीकरण लिए जाकर शामिल मिशल किए गए।

जांच से पाया गया कि नगरपालिका भीनमाल में आबादी भूमि नियमन हेतु राहुल पुत्र प्रेमराज बोहरा के आवेदन पर पत्रावली संख्या 1489/2013 संधारित कर कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेज से प्रार्थी के 1991 से पूर्व के कब्जे के आधार पर 100 रूपये प्रति वर्गगज से गणना करते हुए 296 वर्गगज के 29,600 रूपये एवं 10 वर्षीय लीज राशि 7,400 रूपये वसूल करते हुए नियमानुसार आबादी भूमि का विक्रय विलेख प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है, इसी प्रकार श्री छगनाराम पुत्र भूराराम माली के आवेदन पर पत्रावली संख्या 1537/2013 संधारित कर कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थी के 1991 से पूर्व के कब्जे के आधार पर 100 रूपये प्रति वर्गगज से गणना करते हुए 207.08 वर्गगज के 20,710 रूपये एवं 10 वर्षीय लीज राशि 5,180 रूपये नियमानुसार वसूल करते हुए आबादी भूमि का विक्रय विलेख प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया। श्रीमती लीलादेवी पत्नि सुरेश कुमार कोठारी के आवेदन पर नगरपालिका द्वारा पत्रावली संख्या 61/97–98 संधारित की गई। नियमन प्रक्रिया के दौरान श्रीमती लीलादेवी द्वारा श्री चेतन बोहरा के नाम साझेदारी (इकरारनामा) प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड मे चेतन बोहरा को बराबर हिस्सेदार बनाया गया। जिस पर परिपत्र प.8 (ग) ( ) नियम/स्वा.शा.वि./2001/2171 दिनांक 09.10.2002 की अनुपालना में नियमन राशि की गणना करते हुए रामसीन भीनमाल रोड की आरक्षित दर 2,100 रूपये का 25 प्रतिशत 525 रुपये प्रतिवर्ग गज के हिसाब से 299.83 वर्गगज की नियमन राशि 1,57,505 रूपये एवं दस वर्षीय लीज राशि 29,395 रुपये वसूल की जाकर नियमानुसार विक्रय विलेख जारी किया जाना पाया गया।

श्रीमती विमला पत्नि सुरेश बोहरा व श्रीमती सुशीला पत्नि प्रेमराज बोहरा के नाम से खसरा संख्या 5168/7428 मे कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नगरपालिका भीनमाल द्वारा पत्रावली संख्या 4/08–09 संधारित की गई। आवेदक द्वारा यह आवेदन खसरा नम्बर 5168/7428 कुल रकबा 1.20 हैक्टर में से 10750 वर्गगज भूमि को राजस्थान विधिया (संशोधित) अध्यादेश 1999 अन्तर्गत नगरपालिका भीनमाल को नियमन किये जाने हेतु पेश किया गया, नगरपालिका भीनमाल द्वारा उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भिजवाया गया। राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 74/2007 दिनांक 10.10.2007 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर नगरपालिका भीनमाल द्वारा उक्त प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी की कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी भीनमाल को भिजवाया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.08.2008 के द्वारा उक्त भूमि में केवल आवेदक खातेदार का नाम दर्ज होने एवं भूमि खाली एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार आवेदक का टाईटल हक स्पष्ट होने एवं आवेदक द्वारा उक्त कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ अकृर्षि उपयोग करना प्रयोजित होने से 90बी की कार्यवाही करते हुए खातेदारी अधिकार पर्यवसित किये जाने के आदेश जारी गये एवं उक्त भूमि अधिशाषी अधिकारी भीनमाल के नाम हस्तान्तरित हो जाने के पश्चात नगरपालिका द्वारा राशि गणना करते हुए नियमन राशि 3,22,500 रूपये, बाह्य विकास शुल्क 5,37,500 रूपये एवं 8 वर्षीय एक मुश्त लीज राशि 2,58,000 रूपये जरिये रसीद कमांक 66 दिनांक 05.08.2011 जमा करवाई जाकर नियमन आदेश जारी किये गये है। उक्त प्रकरण मे लीज राशि 10 वर्ष की बजाए एक वर्ष की जमा करवाकर नगरपालिका को लाखों रूपयों का नुकसान पहुचाने आरोप अप्रमाणित पाये गये है।

श्री सोमाराम पुत्र पीराराम, सजनाराम पुत्र सकुजी, बलवन्ताराम पुत्र सकुजी, सकुडाराम पुत्र सरूपाराम नागजीराम पुत्र नारणाराम जाति भील निवासी रामसीन रोड भीनमाल द्वारा 4.08 हेक्टर कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनो के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम 2012 के उप नियम 4(1) प्रारूप 1 मे आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर नगरपालिका भीनमाल द्वारा पत्रावली संख्या 1993/2013 संधारित की गई। आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप 2 नियम 4 (1) मे शपथ पत्र प्रारूप 3 नियम 4(1) में क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प नोटेरी से तस्दीक शुदा, खातेदारी की जमाबन्दी, खसरा नकल व नक्शा ट्रेस, स्वामित्व के प्रमाण स्वरूप स्वामित्व दस्तावेज, श्री प्रेमराज बोहरा के नाम मुख्तियारनामा एवं भूमि समर्पण पत्र प्रस्तुत किये गये। पत्रावली श्री भीखाराम जोशी अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत करने पर श्री भीखाराम जोशी अधिशाषी अधिकारी द्वारा भूमि की किस्म/जांच हेतु कनिष्ठ अभियन्ता को मार्क किया एवं सहमति रिपोर्ट बाबत् पत्र तहसीलदार भीनमाल को भिजवाया गया। जिस पर तहसीलदार भीनमाल ने अपने पत्रांक 1602 दिनांक 24.01.2013 के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अधीन गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा जारी करते हुए सहमति रिपोर्ट जारी की गई। जिस पर श्री भीखाराम जोशी अधिशाषी अधिकारी द्वारा लोक सूचना जारी करवाई गई। अन्दर मियाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा 90ए का आदेश जारी किये गये। जिस पर सम्बन्धित पटवार हल्का द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण नगरपालिका आबादी में दर्ज किया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सम्बन्धित नगरपालिका के अध्यक्ष, अधिशाषी अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता एवं वरिष्ठ नियोजक की एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था। जिस में से तीन का कोरम पूरा होने पर ले आउट प्लान का अनुमोदन करने के अधिकार प्रदान किये गये थे। उक्त एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 15. 01.2013 को उक्त भूमि का ले आउट प्लान श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर के पत्रांक 2297 दिनांक 19.12.2012 जिसके द्वारा परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ बाबत् आपसी सहमति एवं अभिशंषा के क्रम मे अनुमोदित किया गया था। कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय पटटे जारी करने मे नियमन राशि 200 वर्ग गज तक के भूखण्ड पर 40 रूपये प्रति वर्गगज एवं इससे अधिक पर 60 रूपये प्रति वर्गगज लेने के प्रावधान थे एवं नियमन राशि के 4 गुना राशि को आरक्षित दर मानते हुए आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत का आठ गुणा अर्थात एक मुश्त दस वर्षीय लीज राशि कमशः 32 रूपये प्रति वर्गगज एवं 48 रूपये प्रतिवर्ग गज के हिसाब से वसूली के प्रावधान थे एवं यदि प्रार्थी एक वर्षीय लीज राशि जमा करवाना चाहता हो तो प्रचलित आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत के हिसाब से वसूल किये जाने के प्रावधान थे।

नगरपालिका भीनमाल की उक्त पत्रावली संख्या 1993/2013 दिनांक 21.01.2013 में प्रार्थीगण श्री बलवन्ताराम पुत्र सकुजी व सुजानाराम सकुजी के नाम खसरा नम्बर 5146/3 व 5146/7 की भूमि में से 33000 वर्गफीट अर्थात 3666.6 वर्गगज के विक्रय विलेख दिनांक 08.02.2013 जारी किये गये। जिसमे नियमन राशि 60 रूपये प्रति वर्गगज एव दस वर्षीय लीजराशि 48 रूपये प्रति वर्गगज एवं पत्रावली शुल्क राशि 20 प्रति वर्गगज के हिसाब से राशि गणना की जाकर कुल राशि 3,59,190 रुपये जमा करवाई गई। दिनांक 20.03.2013 को प्राथीगणों द्वारा पत्रावली स्वयं द्वारा तैयार करने से पत्रावली शुल्क देय नहीं होने का प्रार्थना पत्र पेश कर पर वसूल की गई पत्रावली शुल्क राशि 73,333 रूपये का समायोजन करने का निवेदन किया गया। जिस पर दिनांक 21.03.2013 को 10 भूखण्डो की राशि गणना करवाकर नियमन पेटे 66,664 रूपये व एक वर्षीय लीज राशि पेटे 6,667 रूपये कुल 73,333 रुपये का समायोजन किया गया। जबकि नियमानुसार उक्त 10 भूखण्डों के कुल क्षेत्रफल 1666.60 वर्गगज की उस क्षेत्र की तत्समय प्रचलित आरक्षित दर 1,179 रूपये प्रति वर्गगज का 2.5 प्रतिशत के हिसाब से एक वर्षीय लीज राशि 49,123 रूपये वसूल की जानी थी। जबकि नगर पालिका द्वारा एक वर्षीय लीज राशि 6,667 रुपये ही वसुल किए गए। इसी प्रकार दिनांक 25.03.2013 को जारी 24 भूखण्ड रकबा 3999.84 वर्गगज के विक्रय विलेख में एक वर्षीय लीज राशि प्रचलित आरक्षित दर के 2.5 प्रतिशत के हिसाब से 1,17,895 रुपये बनते है जबकि नगरपालिका द्वारा लीज राशि के रूप में 16,032 रूपये वसूले गये। इसी प्रकार दिनांक 19.05.2014 को जारी 3 विक्रय विलेख रकबा 462.90 वर्गगज का प्रचलित आरक्षित दर 1,179 रुपये प्रति वर्गगज के 2.5 प्रतिशत के हिसाब से एक वर्षीय लीज राशि 13,644 रूपये बनते है लेकिन नगरपालिका भीनमाल द्वारा एक वर्षीय लीज राशि 1,855 रूपये वसूल किये है तथा दिनांक 02.06.2014 को जारी 63 विक्रय विलेख रकबा 13481.77 वर्गगज मे प्रचलित आरक्षित दर 1,179 रूपये प्रति वर्गगज का 2.5 प्रतिशत के हिसाब से एक वर्षीय लीज राशि 3,97,375 रूपये बनते है लेकिन नगरपालिका एक वर्षीय लीज राशि के 70,540 रूपये वसूले गये। इस प्रकार नगरपालिका भीनमाल द्वारा कुल 4,82,943 रूपये कम वसूल कर राजकोष को अनुचित नुकसान कारित किया है। इसके अलावा एक वर्षीय लीज राशि वसूली पर लीज धारक को प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में नियमानुसार निर्धारित लीज राशि अदा करने के प्रावधान है। जो लीज धारक द्वारा प्रतिवर्ष जमा नहीं करवाई गई है एवं नगरपालिका भीनमाल द्वारा भी लीज राशि वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

नगरपालिका भीनमाल की पत्रावली संख्या 1993/2013 से नियमन राशि के 4 गुना राशि को आरक्षित दर मानते हुए आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत एक वर्षीय लीज राशि वसूली गई है।

लीज राशि में यह छूट उसी स्थिति में देय होती है जब आवेदक द्वारा लीज राशि एकमुश्त 8 वर्ष के लिये एकबारीय जमा करवाता है यदि आवेदक द्वारा पृथक–पृथक प्रतिवर्ष के आधार पर लीज राशि जमा करवाता है, तो लीज राशि उस क्षेत्र की प्रचलित आरक्षित दरो की 2.5 प्रतिशत लेने के प्रावधान है। उक्त क्षेत्र की तत्समय प्रचलित आरक्षित दर 131 रूपये प्रतिवर्ग फिट अर्थात 1,179 रूपये प्रति वर्गगज थी, इस प्रकार प्रतिवर्ग गज 1,179 का 2.5 प्रतिशत के हिसाब से 29.47 रूपये प्रति वर्गगज एक वर्षीय लीज राशि वसूली जानी थी। जबकि नगरपालिका भीनमाल द्वारा 200 वर्गगज क्षेत्रफल तक के भूखण्ड पर 4 रूपये प्रति वर्गगज एवं 200 वर्गगज से अधिक के भूखण्ड पर 6 रूपये प्रति वर्गगज एक वर्षीय लीज राशि वसूल की गई है।

**इस प्रकार कुल 100 भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 19611.11 वर्गगज की प्रचलित आरक्षित दर 1,179 रुपये प्रति वर्गगज का 2.5 प्रतिशत के हिसाब से एक वर्षीय लीज 5,78,037 रुपये वसूल की जानी थी। जबकि नगरपालिका भीनमाल के तत्का० अधिशाषी अधिकारी श्री भीखाराम जोशी (मृतक), अध्यक्ष हीरालाल बोहरा एवं कनिष्ठ लिपिक श्री भोमाराम (मृतक/फौत) द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर लाभार्थीगण सर्वश्री सोमाराम पुत्र पीराराम, सजनाराम पुत्र सकुजी, बलवन्ताराम पुत्र सकुजी, सकुडाराम पुत्र सरूपाराम, नागजीराम पुत्र नारणाराम जाति भील निवासी रामसीन रोड भीनमाल एवं श्री प्रेमराज बोहरा पुत्र सोमतमलजी बोहरा निवासी भीनमाल (मुख्तियारनामा/वास्तविक भूमि मालिक) से मिलीभगत कर 95,094 रुपये ही वसूल किए। जिससे उपरोक्त आरोपीगण द्वारा राजकोष को 4,82,943 रुपये का अनुचित नुकसान कारित कर लाभार्थीगण को 4,82,943 रुपये का अनुचित फायदा पहुंचाना पाया गया है।**

अतः आरोपीगण 1. स्व. भीखाराम जोशी (मृतक/फौत), पुत्र श्री कृष्णलाल जी जोशी, निवासी पुरोहितों का वास सांचौर, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका भीनमाल, जिला जालौर, 2. श्री हीरालाल बोहरा पुत्र श्री पारेश्वर जी बोहरा, निवासी खारी रोड़, भीनमाल,जिला जालौर तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका भीनमाल, जिला जालौर, 3. स्व. भोमाराम (मृतक/फौत) पुत्र श्री हेमाराम जी, जाति जीनगर, निवासी जीनगर मौहल्ला, भीनमाल, जिला जालौर, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका भीनमाल, जिला जालौर एवं लाभार्थीगण सर्वश्री 4. सोमाराम, 5. सजनाराम, 6. बलवन्ताराम, 7. सकुडाराम 8. नागजीराम रामसीन रोड़ भीनमाल एवं 9. श्री प्रेमराज बोहरा निवासी भीनमाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (डी) सहपठित धारा 13(2) पी० सी० एक्ट 1988 व 120बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना प्रतिवेदन कता की जाकर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ. महावीर सिंह राणावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर ।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ0 महावीर सिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1)(डी) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. स्व.श्री भीखाराम जोशी (मृतक/फौत) पुत्र श्री कृष्ण लाल जी जोशी, निवासी पुरोहितों का बास सांचौर, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका भीनमाल, जिला जालौर एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर बिन्दु संख्या 7 पर अंकित अभियुक्तों के क्रम संख्या 2 लगायत 9 के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 289/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6/11/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 3021-26 दिनांक 06.11.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष, नगर पालिका मण्ड़ल, भीनमाल, जालौर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि.,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, (परि.515/18)

पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।